










# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
मु. नं. 118/15	तारीख रज् 15-12-15	
	उत्पान - नल्लू लाल बनाम नारायण वेंगेण	
	दावा बाबत घोषणा खोतदारी व स्थायी निषेधाज्ञा	
	वन्दाज दुरुस्ती	
	वादी की ओर से Adv. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा ने दावा	
	बाबत घोषणा खोतदारी व्दिवाज दुरुस्ती व स्थायी	
	निषेधाज्ञा पेश किया। दोबे में शपथ पत्र नजमाबन्दी	3352-55
	का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजि स्ट्र कर	15-12-15
	प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली	
	दिनांक 11-1-16 को पेश है।	
		
	उप जिला कलेक्टर	
	टोडाभीम (करोली)	
11-1-16	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की ओर से श्री	
	मनोज कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया	
	प्रतिवादी नं. 4 का वजूद सूचना उप. नहीं उनके विरुद्ध	
	एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते जबाबदाया	
	दिनांक 13-1-16 को पेश है।	
		
13-1-16	वकूलाय उप०। गतानुसार दिनांक 15-1-16 को पेश है।	
		
15-1-16	वकूलाय उप०। जबाब पेश केलें सप्रथम घाटा। दिख	
	गया। वास्ते जबाब दिनांक 18-1-16 को पेश है।	
		
18-1-16	वकूलाय उप०। गतानुसार दि. 19-1-16 को पेश है।	
		

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
17.3.21	वकुलाय उपन वदत हेतु समय पाह गप्पा वदत हेतु दिनांक 31.3.21 को पेश हो। 
31.3.21	वकुलाय उपन वदत हेतु वादी वकील ने पुनः समय यथा दलील सुनका मोका दिवा जाता है दि 27.4.21 को पेश हो। 
20.7.21	पत्रावली लाकडाइन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई वकील उभय पक्ष उपन वदत हेतु वादी वकील ने एक मोका फटा एक मोका दिवा जाता है वदत वदत दिनांक 30.7.21 को पेश हो। 
30.7.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी वकील ने मुकदमा Not-Press कर आगे चलाने से इन्का करते हुए खारिज करने का कथन किया। अतः पह दावा Not-Press किये जोन से खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर से कम हिका दाखिल दफतर हो। 

Not Press  
गपप  
(2)

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपकाण्ड अधिकारी टोडा  
जिला-करोली